न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 62 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. विशनाराम पुत्र उदाराम 2. चुतराराम पुत्र उदाराम 3. हरखाराम पुत्र उदाराम 4. अमराराम पुत्र उदाराम 5. लिखमाराम पुत्र विशनाराम 6. कृष्णादेवी पत्नी लिखमाराम सभी जाति जाटियान, निवासी दाखां		1. अमरुदेवी पुत्री ईशराराम 2. उत्तमसिंह पुत्र भीखाराम 3. केसराराम पुत्र नथाराम 4. चनणीदेवी पुत्री ईशराराम 5. दुदाराम पुत्र ईशराराम 6. निम्बाराम पुत्र वेहनाराम 7. भेराराम चौधरी पुत्र ईशराराम 8. रूपोंदेवी पत्नी ईशराराम 9. वांकाराम पुत्र ईशराराम 10. विरधसिंह पुत्र भीखाराम 11. सहदेवसिंह पुत्र भीखाराम 12. हरचंदराम पुत्र आईदानराम सभी निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 13. केवलाराम पुत्र [illegible] 14. खुशालाराम पुत्र [illegible] 15. डूंगराराम पुत्र [illegible] 16. फरसाराम [illegible] 17. भट्टाराम पुत्र [illegible] 18. मोमताराम पुत्र [illegible] 19. हंजाराम पुत्र पोकराराम सभी जातियान [illegible] निवासी दाखां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 20. सुंगीदेवी पत्नी [illegible] 21. बालसिंह पुत्र पूंजराजसिंह, राजपूत 22. आम्बाराम पुत्र वीराराम 23. गणपतलाल पुत्र चुनाराम 24. गोरखाराम पुत्र पुनमाराम 25. चन्द्राराम पुत्र पोकराराम 26. चेनाराम पुत्र राणाराम 27. जगनाराम पुत्र केशाराम 28. जोगाराम पुत्र भीमाराम 29. नथूदेवी पत्नी पोकराराम 30. प्रियंका पुत्री गंगाराम 31. बगदाराम पुत्र भीखाराम 32. बाबूलाल पुत्र वीराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

33. भेराराम पुत्र मानाराम
34. रुगाराम पुत्र राणाराम
35. रामाराम पुत्र भीमाराम
36. रायचन्दराम पुत्र चुनाराम
37. शंकराराम पुत्र केशाराम
38. सूरोदेवी पत्नी चुनाराम
39. हंजादेवी पत्नी भीमाराम
सभी जाती गरुडा निवासी – दाखां
40. अर्जुनसिंह पुत्र दीपसिंह, राजपूत
41. रुगसिंह पुत्र दीपसिंह, राजपूत
42. भंवरसिंह पुत्र छतरसिंह, राजपूत
43. इंद्रकंवर पत्नी धनसिंह, राजपूत
44. कालुसिंह पुत्र सरदासिंह, राजपूत
45. जितेन्द्रसिंह पुत्र सरदासिंह, राजपूत
46. दरियाकंवर पत्नी सोहनसिंह, राजपूत
47. मोहनकंवर पत्नी सरदासिंह, राजपूत
48. विशनसिंह पुत्र सोहनसिंह, राजपूत
49.नारयणसिंह पुत्र बिंजराजसिंह, राजपूत
50.पवनकंवर पत्नी बिंज[illegible]राजसिंह, राजपूत
51.हडमतसिंह पुत्र बिंज[illegible]जसिंह, राजपूत
52. जबरसिंह पुत्र शिव[illegible]सिंह, राजपूत
सभी निवासी दा[illegible]
53. जेसाराम पु[illegible]
54. देमाराम पुत्र [illegible]
55. पेमाराम पुत्र [illegible]
56. मुलाराम पुत्र तिलाराम
57. शंकरलाल पुत्र तिलाराम
58. शिवाराम पुत्र तिलाराम
सभी जाति कुम्[illegible] निवासी [illegible]खां
59. उगमकंवर पत्नी हुकमसिंह, राजपूत
60. केलाशकंवर पुत्री हुकमसिंह, राजपूत
61. जडावकंवर पुत्री हुकमसिंह, राजपूत
62. देसुकंवर पुत्री हुकमसिंह, राजपूत
63. बायाकंवर पुत्री हुकमसिंह, राजपूत
64. रडमाराम पुत्र सोनाराम, कुम्हार
65. स्वरूपसिंह पुत्र रिडमलसिंह, राजपूत
66. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी संख्या 66 के पेरोकार उपस्थित तथा शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक 18.06.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दाखां में खसरा संख्या 1315/443, 1316/443, 1932/450, 448 रकबा क्रमशः 6.1080, 6.1484, 3.0499, 2.4027 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दाखां में खसरा संख्या 1315/443, 1316/443, 1932/450, 448 रकबा क्रमशः 6.1080, 6.1484, 3.0499, 2.4027 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये [illegible] नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी[illegible] को [illegible] पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को [illegible] हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दाखां में खसरा संख्या 1315/443, 1316/443, 1932/450, 448 रकबा क्रमशः 6.1080, 6.1484, 3.0499, 2.4027 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दाखां में खसरा संख्या 1315/443, 1316/443, 1932/450, 448 रकबा क्रमशः 6.1080, 6.1484, 3.0499, 2.4027 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

...ड अधिकारी
... सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दाखां में खसरा संख्या 1315/443, 1316/443, 1932/450, 448 रकबा क्रमशः 6.1080, 6.1484, 3.0499, 2.4027 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां के ग्राम दाखां में खसरा संख्या 1315/443, 1316/443, 1932/450, 448 रकबा क्रमशः 6.1080, 6.1484, 3.0499, 2.4027 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण के द्वारा अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:06 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner